

::1::

प्ररूप 8

{ नियम 33ड.(2) देखिए }

नर्सरी उगाने वाले के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी  
(बीजतल के विनाश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर प्रस्तुत की जाए)

1	नर्सरी उगाने वाले का नाम	:		
2	रजिस्ट्रीकरण सं.	:		
3	वह ग्राम, मंडल और जिला जिसमें नर्सरी विकसित की जानी है:	:		
4	अभिकर्षण के प्रारम्भ की तारीख	:		
5	बीजतल के विनाश की तारीख	:		
6	बीजोत्पन्न पौधों का विक्रय	:		
अभिकर्षण की तारीख	किस्म	हजारों की संख्या में विक्रय किए गए बीजोत्पन्न पौधों की सं.	उसे उगाने वाले का नाम और रजिस्ट्रीकरण सं. जिसको बीजोत्पन्न पौधों का विक्रय किया गया है।	विक्रय के समय बीजोत्पन्न पौधों की आयु

::2::

7 अपनाई जाने वाली सुधार की गई संवर्धन पद्धति के ब्यौरे दें।

:

8 विनाश के समय प्रति स्क्वायर मीटर छूट गए बीजोत्पन्न पौधों की सं.

:

स्थान:

तारीख:

(नर्सरी उगाने वाले के हस्ताक्षर)